अब पानी कब मिलेगा • बामन घाट के मोटर पंप में खराबी से मंडी क्षेत्र में जलप्रदाय ठप

तय दिन भी नहीं आया पानी, अब 250 रुपए में टैंकर खरीदने की मजबूरी

भास्कर संवाददाता | शुजालपुर

शुजालपुर के मंडी क्षेत्र में गुरुवार को तय दिन पर भी जलप्रदाय नहीं हुआ। बामन घाट स्थित जलप्रदाय स्रोत के मोटर पंप में तकनीकी खराबी आने से कई जगह पानी नहीं पहुंचा। लोग दिनभर नलों से पानी आने का इंतजार करते रहे। बाद में उन्हें जलप्रदाय नहीं होने की जानकारी मिली। नगर पालिका के जिम्मेदार यह भी स्पष्ट नहीं कर सके कि अब पानी कब मिलेगा। ऐसे में लोगों को जरूरत पूरी करने के लिए 250 रुपए तक खर्च कर टैंकर मंगवाना पड़ रहा है।

नगर में वर्तमान में दो दिन छोड़कर तीसरे दिन जलप्रदाय किया जा रहा है। ऐसे में निर्धारित दिन भी पानी नहीं मिलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। गुरुवार को कई लोगों ने टैंकर बुलाकर पानी की व्यवस्था की, जबकि कुछ को टैंकर भी उपलब्ध नहीं हो सके। उन्हें अगले दिन तक इंतजार करने को कहा गया। नागरिकों का कहना है कि नियमित जलप्रदाय नहीं होने पर पानी खरीदना मजबूरी बन गया है।



टैंकर से पानी खरीदते हुए।

नंदासुरा डेम खाली होने से भी चिंता

नगर की जलापूर्ति को लेकर नंदासुरा डेम की स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। डेम के गेट समय पर बंद नहीं किए जाने के कारण जलस्रोत पूरी तरह खाली हो गया है। ऐसे में लोगों को आशंका है कि आने वाले महीनों में जलापूर्ति बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

दीपावली से पहले बढ़ी चिंता, सफाई के लिए भी चाहिए पानी

दीपावली नजदीक है। त्योहार से पहले घरों की साफ-सफाई सहित अन्य कामों में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक पानी की जरूरत होती है। ऐसे में बार-बार जलप्रदाय बाधित होने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। नागरिकों का कहना है कि अभी गर्मी का मौसम दूर है, फिर भी तकनीकी खराबी के कारण पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। यदि व्यवस्था नहीं सुधरी तो गर्मी में संकट और गहरा सकता है।

पूर्व पार्षद बोले- पानी खरीदने को मजबूर लोग, नपा जिम्मेदार है

पूर्व पार्षद महेंद्र नाहर ने कहा कि मंडी क्षेत्र में अनियमित जलप्रदाय के कारण लोगों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है। इसके लिए नगर पालिका जिम्मेदार है। वहीं, नगर पालिका में जलप्रदाय व्यवस्था देख रहे फूल सिंह ने बताया कि मोटर पंप खराब होने के कारण गुरुवार को जलप्रदाय नहीं हो सका। जब तक मोटर पंप ठीक होकर नहीं आता, तब तक यह स्पष्ट नहीं है कि नलों से पानी कब मिलेगा।

आरएके फीडर का क्षेत्रफल अधिक इसलिए घंटों बिजली कटौती

सीहोर | हल्की बारिश और तेज हवा से बुधवार शाम शहर की बिजली व्यवस्था लड़खड़ा गई। आरएके फीडर में फॉल्ट से 2200 से ज्यादा उपभोक्ता दो घंटे से अधिक समय तक अंधेरे में रहे। वहीं, सुभाष फीडर से जुड़े क्षेत्रों में शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। लंबे समय तक बिजली गुल रहने से घरेलू और जरूरी कामकाज प्रभावित हुए। बार-बार मेंटेनेंस के बावजूद मौसम बदलते ही आपूर्ति बाधित होने से व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आरएके फीडर में बड़ियाखेड़ी के पास 11 केवी लाइन पर पेड़ की टहनी गिरने से बिजली गुल हुई। फीडर का क्षेत्र बड़ा होने के कारण कर्मचारियों को फॉल्ट तलाशने में दो घंटे से ज्यादा लग गए।

सुभाष फीडर में फेस नहीं मिलने से शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ी। आरएके फीडर का क्षेत्र बड़ा होने से खराबी का स्थान तलाशने और आपूर्ति बहाल करने में समय लगता है। इसे दो या अधिक छोटे फीडरों में बांटने से फॉल्ट की पहचान आसान हो सकती है और बिजली बहाली में लगने वाला समय घट सकता है।

2 हजार ब्लैक बक को सुरक्षित वन्य आवास में शिफ्ट करने का लक्ष्य

गावड़ी में 47 कृष्ण मृगों का रेस्क्यू दूसरे चरण में आंकड़ा 710 पहुंचा



कृष्ण मृगों को पकड़ते हुए वन विभाग की टीम।

शुजालपुर | शाजापुर-शुजालपुर क्षेत्र में कृष्णमृग (ब्लैकबक) के रेस्क्यू और स्थानांतरण अभियान के दूसरे चरण में गुरुवार को गुलाना तहसील के ग्राम गावड़ी में 47 कृष्ण मृगों का रेस्क्यू किया गया। इसके साथ ही दूसरे चरण में अब तक रेस्क्यू किए गए कृष्ण मृगों की संख्या 710 हो गई है। अभियान के तहत कुल 2 हजार कृष्ण मृगों को सुरक्षित तरीके से उपयुक्त वन्य आवास में स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करना और फसलों को नुकसान से प्रभावित किसानों व ग्रामीणों को राहत दिलाना है। अभियान में दक्षिण अफ्रीका की विशेषज्ञ संस्था कंजर्वेशन सॉल्यूशंस का तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है। वन विभाग के अनुसार, ग्राम गावड़ी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह भी रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। कार्रवाई जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से की जा रही है।

भिलट बाबा की भविष्यवाणी: गेहूं की फसल अच्छी होगी, बारिश भी रहेगी लाभकारी

भास्कर संवाददाता | सीहोर

गेहूं की अच्छी पैदावार होगी और रबी फसलों के लिए बारिश लाभकारी रहेगी, लेकिन बीच-बीच में ओलावृष्टि फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। ग्राम काहिरी जदीद स्थित श्री भिलट देव मंदिर में शारदीय नवमी पर परंपरानुसार आगामी छह माह के मौसम, कृषि, व्यापार और जनजीवन को लेकर यह भविष्यवाणी की गई। इसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे।

नवमी पर श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से निशान चढ़ाकर श्री भिलट बाबा के दर्शन किए और सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर की प्राचीन परंपरा के अनुसार साल में दो बार आगामी छह माह की परिस्थितियों को लेकर भविष्यवाणी की जाती है।



श्रद्धालुओं ने निशान चढ़ाकर श्री भिलट बाबा के दर्शन किए।

क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं में इस परंपरा के प्रति गहरी आस्था है। भविष्यवाणी में आगामी समय में जनजीवन पर संकट की स्थिति बने रहने की बात भी कही गई। इससे बचने के लिए श्रद्धालुओं को धर्म के मार्ग पर चलने और ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दी गई।

2022 का नामांतरण अब कटघरे में: कलेक्टर कोर्ट में पहुंचा मामला

राजगढ़ | खिलचीपुर नगर परिषद में वर्ष 2022 में किए गए एक नामांतरण को लेकर चार साल बाद मामला कलेक्टर न्यायालय पहुंचा है। अपीलकर्ता ने नामांतरण की प्रक्रिया और उसके आधार में लगाए गए दस्तावेजों पर सवाल उठाते हुए इसे चुनौती दी है।

मामला कलेक्टर न्यायालय में दर्ज हुआ है। न्यायालयीन दस्तावेजों में 11 अक्टूबर 2022 के नगर परिषद के आदेश/प्रस्ताव का उल्लेख है। अब इस पुराने रिकॉर्ड की प्रक्रिया और दस्तावेजों की जांच का रास्ता खुला है। कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन में नगर परिषद द्वारा किए गए नामांतरण को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। दस्तावेजों में संबंधित संपत्ति, उसके वारिसों और नामांतरण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की स्थिति को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

भावांतर का इंतजार छोड़कर मंडी पहुंच रहे किसान, भाव भी अधिक मिल रहा

चार दिन बाद खुली मंडी, पहले दिन 8 हजार बोरी की आवक

शुजालपुर | दशहरे के चार दिन के अवकाश के बाद गुरुवार को शुजालपुर गल्ला मंडी में कारोबार शुरू होते ही किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में उपज लेकर पहुंचे। पहले दिन मंडी में 8 हजार बोरी से अधिक उपज की आवक होने का अनुमान है।

किसानों की आवाजाही से मंडी के साथ शहर के प्रमुख मार्गों और दुकानों पर भी चहल-पहल रही। गल्ला मंडी में शुक्रवार को भी कारोबार होगा। इसके बाद शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश और शनिवार को बैंक बंद रहने के कारण गल्ला मंडी व सब्जी मंडी में कारोबार नहीं होगा। सोमवार से नियमित खरीदी शुरू होगी। सब्जी मंडी में लहसुन और प्याज की आवक भी बनी रही। कृषि उपज मंडी समिति



के प्रांगण क्रमांक 1, 2 और 3 में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉलियां पहुंचीं। प्रदेश सरकार ने इस बार सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के तहत करने का निर्णय लिया है, लेकिन खरीदी अभी शुरू नहीं हुई है। पंजीयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद खरीदी शुरू होगी। दूसरी ओर, किसानों का कहना है कि मंडी में फिलहाल सोयाबीन के अच्छे दाम मिल रहे हैं। ऐसे में योजना के तहत खरीदी शुरू होने का इंतजार करने के बजाय मंडी में उपज बेचना अधिक फायदेमंद लग रहा है।

बड़े तौल कांटे से तुलाई में सुविधा: मंडी में बड़े तौल कांटे से उपज की तुलाई होने से किसानों को राहत मिल रही है। किसान दयाकिशन ने बताया कि इस समय किसानों को पैसों की जरूरत है और सोयाबीन के भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। ऐसे में सरकारी खरीदी का इंतजार करने के बजाय मंडी में उपज बेचना ज्यादा लाभदायक दिखाई दे रहा है।

चार दिन में 6,958 रजिस्ट्रियां बढ़ीं

राजगढ़| स्वामित्व रजिस्ट्री अभियान में राजगढ़ ने महज चार दिन में 6,958 नई रजिस्ट्रियां कराकर प्रदेश में दूसरे स्थान पर जगह बनाई है। 18 अक्टूबर को जिले में 3,407 रजिस्ट्रियां पूर्ण थीं, जबकि अब ये आंकड़ा बढ़कर अब 10,365 हो गया है। यानी चार दिन में रजिस्ट्रियों की संख्या तीन गुना के करीब पहुंच गई। जिले में कुल 1,80,488 हितग्राहियों की रजिस्ट्रियां किए जाने का लक्ष्य है। अभियान में तेजी के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से मैदानी अमले को तकनीकी और प्रक्रियागत सहायता दी जा रही है। राजस्व विभाग के कमिश्नर डॉ. ई. रमेश कुमार ने गुरुवार की बैठक में जिले की प्रगति पर हर्ष जताया है।

पशुपालक ने एसडीएम से की शिकायत, आरोप- मवेशी चूरी में निकले कीड़े, भैंसों की तबीयत बिगड़ी

ब्यावरा | पगारी बंगला स्थित सांची बीएमसी प्वाइंट से मवेशी चूरी खरीदने वाले एक पशुपालक किसान ने एसडीएम से शिकायत दर्ज कराई है। किसान का आरोप है कि चूरी की बोरी में सैकड़ों जिंदा कीड़े, इल्लियां और सड़ा हुआ माल भरा हुआ था। इस खराब चूरी को खाने से मवेशियों की तबीयत बिगड़ गई है। किसान ने एसडीएम गोविंद दुबे को आवेदन देकर कंपनी और एजेंसी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

ग्राम मुवालिया दांगी निवासी पशुपालक किसान दीपक दांगी ने बताया कि उन्होंने अपने दुधारू पशुओं के लिए सांची प्वाइंट से एक कंपनी की एचपीएमआर स्पेशल चूरी की 50 किलो की बोरी खरीदी थी। रात में भैंसों को इसी चूरी को आहार में दिया था। सुबह जब भैंसों की तबीयत बिगड़ी तो कुछ गड़बड़ लगी। जब चूरी की बोरी खोली तो उसमें सैकड़ों जिंदा कीड़े और इल्लियां रेंग रही थीं तथा उसमें से काफी बदबू आ रही थी। एसडीएम ने पशुपालन विभाग से मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

अंधेरे में मवेशियों को खिलाई चूरी, बिगड़ी तबीयत

किसान ने बताया कि रात के अंधेरे में उन्होंने यह चूरी अपनी भैंसों को खिला दी थी, जिसके बाद मवेशियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अगले दिन सुबह जब बोरी को ध्यान से देखा, तब बीमारी का असली कारण समझ आया। शिकायतकर्ता ने जब सांची प्वाइंट के संचालक से इसके बारे में शिकायत की तो उसने बताया कि यह चूरी कुरावर निवासी सुनील चौरसिया की एजेंसी से मंगाई गई थी। किसान ने आरोप लगाया है कि असली दाम वसूलकर उन्हें सड़ा हुआ और मिलावटी माल थमा दिया गया है, जो पशुपालकों के साथ बड़ी धोखाधड़ी है।



पहले भी पशुआहार की गड़बड़ी पकड़ी थी

इसके पहले भी पचोर रोड पर एक पशुआहार विक्रेता द्वारा प्रतिष्ठित ब्रांड के पशुआहार के कट्टों में दूसरी कंपनी का पशुआहार भरकर बेचे जाने की गड़बड़ी पकड़ी गई थी। पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था।



खबर के बाद 12 स्वास्थ्य कर्मचारी नपे, अटैचमेंट निरस्त कर मूल जगह लौटाए

भास्कर इम्पैक्ट 11 को सीएमएचओ ने, एक को संभागीय जेडी ने लौटाया

भास्कर संवाददाता | राजगढ़

भास्कर में प्रकाशित खबरों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलग-अलग स्वास्थ्य संस्थानों में अटैच किए गए 12 और कर्मचारियों के संलग्नीकरण निरस्त कर दिए हैं। सभी कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापना स्थल पर लौटकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें 11 कर्मचारियों के अटैचमेंट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से जारी दो अलग-अलग आदेशों के जरिए निरस्त किए गए, जबकि एक नर्सिंग ऑफिसर का संलग्नीकरण क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल संभाग ने खत्म किया है।



दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर।

सीएमएचओ कार्यालय से 21 अक्टूबर की देर शाम जारी आदेश में 11 कर्मचारियों के संलग्नीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किए गए। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित कर्मचारी आदेश जारी होने की तारीख से कार्यमुक्त होकर अपनी मूल पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होकर कार्य संपादित करना सुनिश्चित करें।

एक अटैचमेंट 2024 के आदेश से चल रहा था

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल संभाग की ओर से 22 अक्टूबर को जारी आदेश में नर्सिंग ऑफिसर निशा राठौर का संलग्नीकरण निरस्त किया गया है। उन्हें साल-2024 में तलेन में अटैच किया गया था। अब निशा को अपने मूल पदस्थापना स्थल राजगढ़ जिला अस्पताल में काम करने के आदेश दिए गए हैं।

दिव्यांगों और सहायक उपकरण शिविर 27 अक्टूबर से

राजगढ़| दिव्यांगजनों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए जिले में 27 अक्टूबर से स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिह्नांकन शिविर लगेंगे। इनमें पात्र हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राइसिकल, कृत्रिम अंग सहित अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए चिह्नित किया जाएगा। खिलचीपुर में 27, नरसिंहगढ़ में 28, ब्यावरा में 29, राजगढ़ में 30, जीरापुर में 31 अक्टूबर और सारंगपुर में 2 नवंबर को शिविर होंगे।

रोका, नहीं मानें...चेक किया 85 डेसीबल का साउंड, दो डीजे संचालकों पर केस दर्ज

एसडीएम ने जारी किए थे आदेश, उल्लंघन करने पर पुलिस ने दी समझाइश

भास्कर संवाददाता | ब्यावरा

डीजे को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। डीजे संचालक किसी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, यहां तक कि पुलिस-प्रशासन की चेतावनी को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। बुधवार शाम भी जब दो समितियां प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए लेकर जा रही थीं तो तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। पुलिस ने सदस्यों को समझाइश दी, लेकिन दो मिनट आवाज कम रखी, फिर बढ़ा दी। इसके बाद पुलिस ने जब जांच कराई तो मालूम चला कि 55 की जगह 85 डेसीबल तक साउंड था। सिटी थाना पुलिस ने दोनों डीजे संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

दरअसल एसडीएम गोविंद दुबे ने कोलाहल डीजे को लेकर पहले ही निर्देश जारी किए हैं, इसके बाद भी प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान भी डीजे के तेज शोर के कारण हंगामे और विवाद की स्थिति बनी थी। बीते रोज सिटी थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान पुराने बस स्टैंड पर ड्यूटी पर थे, इसी दौरान दुर्गा उत्सव समिति की झांकी विसर्जन के लिए जा रही थी। इस दौरान देव कृपा डीजे (वाहन क्रमांक एमपी13-जेडडी-5753) पर तेज आवाज में गाने बज रहे थे। पुलिस टीम ने ड्राइवर व संचालक को आवाज कम करने की समझाइश दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने जब लाइसेंस, परमिशन दिखाने को कहा तो वे प्रस्तुत नहीं कर पाए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

रात पीपल चौराहे पर भी डीजे का शोर

इसी प्रकार रात पीपल चौराहे पर रात 10 बजे करीब तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। यह डीजे तनिषा डीजे संचालक के नाम से था। यहां टाटा 407 वाहन क्रमांक एमपी 09-जीई 5078 के चालक एवं डीजे संचालक को जब पुलिस ने धीमी आवाज में डीजे बजाने की चेतावनी दी तो उस समय आवाज कम कर दी, बाद में कुछ दूर जाते ही फिर आवाज तेज कर दी। पुलिस ने वाहन चालक एवं डीजे संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उपक्रम

जबलपुर अंचल कार्यालय: राईट टाउन, जबलपुर फोन: 0761-2480065, 67, 68

ई- नीलामी द्वारा विक्रय हेतु आम सूचना

सरफेसी अधिनियम 2002 तथा सहपठित नियम 8(6) of 2002 के अंतर्गत की नीलामी के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बंधक अचल संपत्ति के विक्रय की सूचना

इस आम सूचना के द्वारा बैंक के अनर्जक खातेदार, जमानतदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल संपत्तियाँ जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बंधक हैं तथा जिन का कब्जा (सांकेतिक/प्रत्यक्ष) प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत लिया जा चुका है। यह संपत्तियाँ "जहाँ है जैसी है" "जैसा है जो है" "जहां भी है" तथा "दायित्व रहित" आधार अनर्जक खातों में ऋण की वसूली हेतु दिनांक 25.11.2026 को ई नीलामी द्वारा विक्रय की जाएंगी। अनर्जक खाते, खाताधारक, जमानतदार, बैंक पर बकाया धनराशि, ऑनलाइन नीलामी द्वारा विक्रय की जाने वाली संपत्ति का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी में किसी तरह का संपत्ति पर भार, संपत्ति पर कब्जे का प्रकार, विक्रय की धनराशि (RESERVE PRICE), नीलामी में भाग लेने हेतु जमा की जाने वाली पूर्व धनराशि (EMD AMOUNT) इत्यादि की जानकारी निम्नलिखित है-

ऋणी/जमानतदार का नाम एवं पता	बकाया राशि जिसकी वसूली हेतु संपत्ति विक्रय की जा रही है	संपत्ति का विवरण	कब्जा का प्रकार	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि की राशि
शाखा - आस्ति वसूली शाखा, जबलपुर मैसर्स जय श्री महाकाल इंटरप्राइजेज प्रोपराईटर श्रीमती श्वेता राठौड़	Rs. 14553152.36/- (Rupees One Crore Fourty Five Lakh Fifty Three Thousand One hundred Fifty Two and Thirty Six Paise only) plus unapplied interest + penal interest and other charges/expenses till realization w.e.f. 02.09.2025	खुला आवासीय भूखण्ड क्रमांक 18,19,39 भाग खसरा नं. 492/1, "महाकाल धाम कॉलोनी", एचपी पेट्रोल पंप के पास, श्यामपूत रोड के अंदर, ग्राम बिजोरी, सीहोर, पटवारी हल्का नंबर 20, तहसील और जिला- सीहोर का क्षेत्रफल 5022 वर्ग फुट है।	सांकेतिक	Rs. 4972000/- Rs. 497200/- Rs. 10000/-
		खुला आवासीय भूखण्ड क्रमांक 1 और 2 भाग खसरा नं. 492/1, "महाकाल धाम कॉलोनी", एचपी पेट्रोल पंप के पास, श्यामपूत रोड के अंदर, ग्राम बिजोरी, सीहोर, पटवारी हल्का नंबर 20, तहसील और जिला- सीहोर का क्षेत्रफल 4540 वर्ग फुट है।	सांकेतिक	Rs. 5312000/- Rs. 531200/- Rs. 10000/-
		खसरा नंबर 177/70/1/2-356/177/70/1 पर औद्योगिक फैक्ट्री, ग्राम-जमोनिया तालाब, पटवारी हल्का नं. 07, मुख्य सड़क के अंदर, तहसील और जिला- सीहोर का क्षेत्रफल 10006.80 वर्ग फुट है।	सांकेतिक	Rs. 7314000/- Rs. 731400/- Rs. 10000/-

बोलीदाता द्वारा संपत्तियों का निरीक्षण: 20.11.2026 से 21.11.2026 तक, सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच
बोली आवेदन/केवाईसी दस्तावेज़/ईएमडी आदि जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 25.11.2026 से सुबह 11:00 बजे तक
10 मिनट के लिए स्वतः विस्तार के साथ ई-नीलामी की तिथि और समय: 25.11.2026, सुबह 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच।

नीलामी बिक्री वेबसाइट https://baanknet.com, email: support.baanknet@psballiance.com. Mob.- 8291220220 पद के माध्यम से ऑन-लाइन ई-नीलामी/बोली होगी। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके पोर्टल पर पंजीकरण करें। कृपया ध्यान रखें कि पंजीकरण और केवाईसी अनुमोदन आदि में 2-3 कार्य दिवस लगते हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया https://bankofmaharashtra.bank.in/asset&for&sales&search और https://baanknet.com पद पर दिए गए लिंक को देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता अधिकृत अधिकारियों Contact details: Incharge Recovery Jabalpur Shri Onkar Kumar (Zonal Manager) - 9823296164, Shri Nikhil S Patil (DZM) - 7387211200, Shri Bhushan Mohite (CM Recovery - Z.O.) - 9923257090 & Shri Hariom Trivedi (CM & Authorised Officer) - 9405719723 से भी संपर्क कर सकते है।

Note - The sales are subject to the order/outcome of any case pending/filed if any before Court/Tribunal

दिनांक- 23/10/2026

ऋणकर्ता/गारंटर/कानूनी उत्तराधिकारी/सहभागी को बिक्री सूचना
उपरोक्त को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत 30 दिनों की सूचना माना जाएगा।

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जबलपुर अंचल